Journal Homepage: - www.journalijar.com
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)
Article DOI: 10.21474/IJAR01/1819
DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/1819
ISSN NO. 2320-5407

RESEARCH ARTICLE

"शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" मिथक या वास्तविकता।

राजवीर सिंह
शोधार्थी, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय।

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 12 August 2016
Final Accepted: 22 September 2016
Published: October 2016

Abstract

"शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है शिक्षा, स्वयं में एक जीवन है...प्रगतिशील तथा अनुभवजन्य"[1]

शिक्षा विकल्पों की एक रचना है, जो लोगों को उन विकल्पों के बारे में जागरूक करती है और उन विकल्पों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

Copy Right, IJAR, 2016,. All rights reserved.

[1] जॉन डीवी

Corresponding Author:- राजवीर सिंह
Address:- शोधार्थी, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय।

.....

भारतीय शिक्षा का इतिहास

प्राचीन भारत व मध्यकालीन भारत में शिक्षा को धर्म के साथ जोड़ दिया गया था निश्चित तौर पर शिक्षा सभी लोगों के लिए सुलभ नहीं थी।

सन् 1757 में प्लासी की विजय तथा सन् 1765 में देश की बागडोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में आ गई थी। अपनी सत्ता को चिरस्थाई बनाने के लिए कम्पनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया था। यहीं से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की **भारतीय शिक्षा नीति का आरम्भ होता है।**

सन् 1765 तक कम्पनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक ही सीमित थी परन्तु इसके बाद शिक्षा–नीति में परिवर्तन करके कलकत्ता मदरसा (1781), वारेन हेस्टिग्ज बनारस संस्कृत कालेज (1791), जानेथन डंकन फोर्ट विलियम कालेज (1800), लार्ड वेलेजली तथा पूना संस्कृत कालेज (1818) की स्थापना की गयी। 1813 का आज्ञा–पत्र, लार्ड मैकाले का विवरण–पत्र (1835), वुड का आदेश पत्र (1854)

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में भारतीय शिक्षा का इतिहास

ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज(1873)–संत कबीर के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक व धार्मिक दासता को समाप्त करने के लिए, सामाजिक शिक्षा को संस्थागत करने के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को **सत्यशोधक समाज** की स्थापना की।
समाज के निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए फुले ने **फिल्ट्रेशन थ्योरी** का बलपूर्वक विरोध किया।

भारतीय शिक्षा आयोग(1882–83)–सन् 1857 की क्रान्ति ने भारतीय शिक्षा की प्रगति को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया। स्न 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त करके रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। स्न 1880 में लार्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया, लार्ड रिपन ने उक्त समिति के अनुरोध को पूर्ण करने के लिए स्न 1882 में सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को हण्टर आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

शिमला शिक्षा सम्मेलन(1901)–विद्या व शिक्षा का प्रेमी होने के कारण भारत आते ही भारतीय शिक्षा की अप्रगतिशील स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया और शिक्षा के सुधार कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से लार्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया।

शिक्षा–नीति सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव (1904) लार्ड कर्जन ने 11 मार्च, 1904 को अपनी शिक्षा–नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया जिसमें उसने तत्कालीन शिक्षा के दोषों को भारतीय जनता के सम्मुख रखकर, संख्यात्मक व गुणात्मक दोषों का विश्लेषण करने के उपरान्त ''सरकारी प्रस्ताव'' शिक्षा की नीति निर्धारित की गई। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय बातें–

1. प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और इसके प्रसार के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य होना चाहिये।
2. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अग्रेंजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।
3. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिये, थीं।

गोपाल कृष्ण गोखले का विधेयक (1911) 6 मार्च 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले का विधेयक ने केन्द्रीय धारा–सभा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, परन्तु 19 मार्च 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले के विधेयक को गिरा दिया गया

शिक्षा नीति सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव (1913)– सम्राट जार्ज पंचम के दिल्ली आगमन पर 21 जनवरी 1913 को ''शिक्षा नीति सम्बंधी सरकारी प्रस्ताव'' प्रकाशित किया जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिये कुल पाँच सुझाव दिए प्रस्तुत किए।

हर्टागं समिति (1929)– हर्टागं समिति ने स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा का जो विस्तार हो रहा है वह सन्तोषप्रद नहीं है जिसका मुख्य कारण अपव्यय तथा अवरोधन बताया गया। समिति के अनुसार ***''अपव्यय से हमारा अभिप्राय है–प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना।'' व ''अवरोधन से हमारा अभिप्राय है–किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना।''*** [2] **समिति** ने अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों को दूर करने व प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करने के लिए ठोस नीति की सिफारिश की।

वुड एबट रिर्पोट(1937)– जून 1937 में वुड द्वारा लिखित **'सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन'** तथा एबट द्वारा लिखित **'व्यावसायिक शिक्षा'** रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रेषित की। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को 4 वर्ष का करने व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा को पुस्तकों पर आधारित न करके, बालकों की स्वाभाविक रूचियों, क्रियाओं और प्रवृत्तियों पर आधारित किये जाने की सिफारिश की।

[2] Hartong Committee Report, page 47 & Ibid

वर्धा शिक्षा योजना (1937)– अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन गाँधी जी की अध्यक्षता में 22 व 23 अक्टूबर 1937 को किया गया। इस सम्मेलन में गाँधी जी ने **बेसिक शिक्षा** की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि *"देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात साल का हो, अग्रेंजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए।"*[3] बेसिक शिक्षा की महत्वता के संदर्भ में अविनाशलिंगम् ने लिखा है– *''बेसिक शिक्षा–हमारे राष्ट्रपिता का अन्तिम और संभवतः महानतम उपहार है।''*[4]

सार्जेण्ट रिर्पोट (1944)–इस रिर्पोट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए कुल 12 भागों में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई। भारतीय शिक्षा अत्यन्त पिछडी हुई थी इसीलिए नूरुल्ला व नायक लिखते हैं–*''योजना का उद्देश्य–कम से कम 40 वर्ष की अवधि में भारत में शैक्षिक योग्यताओं के उसी स्तर का निर्माण करना, जिस पर इंग्लैण्ड पहुँच चुका है।''* [5] रिपोर्ट में पूर्व प्राथमिक शिक्षा(3–6 वर्ष) को राष्ट्रीय योजना का अभिन्न अंग बताते हुए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। , प्राथमिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार लिया तथा यह सुझाव दिया कि ''6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।'' शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए **''उपस्थिति–निरीक्षक–पदाधिकारियों''** की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन प्रारंम्भिक शिक्षा की ऐतिहासिक यात्रा को भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास है। विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रयास उपनिवेश काल से ही प्रारंभ हो गए थे जिसकी परिणति इक्कीसवी सदी के प्रारंभ में दिखाई देती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

- **राधाकृष्णन् आयोग (1948–49)**–डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में ''विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग'' की नियुक्ति की गई। इस आयोग की सिफारिशें व सुझाव केवल विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए ही थे, इनमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं था।
- **अनुच्छेद 45**– यह तो सर्वविदित है कि 26, जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया कि आगामी दस वर्षों में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी।
- **मुदालियर आयोग(1952–53)**–भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ.ए.लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में ''माध्यमिक शिक्षा आयोग'' की नियुक्ति की गई। इस आयोग की सिफारिशें व सुझाव केवल माध्यमिक शिक्षा के लिए ही थे, इनमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं था।
- **एन. सी. ई. आर. टी. की स्थापना (1961)**– स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एन. सी. ई. आर. टी. की स्थापना की गई।
- **कोठारी आयोग (1964–66)**– भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के उद्देश्य से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के अध्यक्ष डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय ''शिक्षा आयोग'' की नियुक्ति की। आयोग के अनुसार–शिक्षा प्रणाली के सभी अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव डालते हैं। उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के बिना विश्वविद्यालय शक्तिशाली एवं प्रगतिशील नहीं हो सकते और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं, जब **प्राथमिक विद्यालय** कुशलतापूर्वक कार्य करें। इसी संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)**– भारत सरकार ने 24 जुलाई 1968 को, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में जारी किया। नीति में सभी के लिए **प्राथमिक शिक्षा** के महत्व पर बल दिया तथा सर्वांगींण विकास के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979)**–इस नीति में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई तथा इसके विकास के लिए 'कामनस्कूल पद्धति' की स्थापना पर बल दिया गया। इस पद्धति की मुख्य विशेषता 'पडौसी विद्यालय योजना' है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**–शिक्षा पर लगातार चिंतन करते हुए भारत सरकार ने 1985 में 'शिक्षा की चुनौती' नामक दस्तावेज देश के शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों व विचारकों के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया। सभी क्षेत्रों में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् भारतीय संसद ने मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकारा जिसे '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986'' के नाम से जाना जाता है। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, ठहराव तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सिफारिश, आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का आरंभ, तथा शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्त के प्रावधान को राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया गया।
- **मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार (1991)**[6]
  सर्वोच्च न्यायलय ने व्याख्या की कि अनुच्छेद 21(अ) के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है परन्तु निरक्षर के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव ही नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 21(अ) को एक साथ रखकर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए।
- **उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश सरकार (1993)**[7]

[3] **Hindustani Talimi Sangh:** Educatiuonal Reconstruction, p. 32.
[4] **T.S.Avinashlingam**: Understanding Basic Education, p.1.
[5] **Nurullah&Naik**: A History of Education in India, p.834.
[6] Mohini jain V. State of Karnataka, AIR 1992 SC 1858

सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार ही बताया है।

- **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी. 1994)**
  शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों की पहुँच में लाने, विद्यालय छोडने (dropouts) की दर को 10 प्रतिशत से कम करने तथा उपलब्धि के स्तर को 25 प्रतिशत से अधिक करने के उद्देश्य से सन् 1994 में भारत सरकार द्वारा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme) का आरम्भ किया गया। यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित है।
- **सर्व शिक्षा अभियान (2001)**
  सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निश्चित समय अवधि में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से की थी।
- **86वाँ संविधान संशोधन (2002)**
  प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश पर केन्द्र सरकार द्वारा यह बिल पास किया गया तथा नया अनुच्छेद 21 (अ) जोडा गया जिसमें 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से राज्य द्वारा प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- **93वाँ सविधान संशोधन (2005)**
  संशोधन में प्रावधान किया गया कि राज्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करेगा तथा निजी संस्थानों में दाखिले को विनियमित करेगा।
- **बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**
  स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर हासिल करने के उद्देश्य से आजादी के 60 वर्ष बाद 1 अप्रैल 2010 को एक सुनहरे सफर की शुरूआत की।

30 अक्टूबर, 2008 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जुलाई, 2009 में राज्यसभा तथा अगस्त, 2009 में लोकसभा ने "6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के विधेयक "को पारित कर दिया। 26 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब अधिनियम बन गया। इस अधिनियम को ***"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।"*** *का नाम दिया गया है।*

यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से विद्यालयों में नामांकन का बढ़ना लगातार जारी है।*[8] शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विद्यालयों की आधारभूत संरचना के विकास में सहायक साबित हो रहा है।

गैर सरकारी सगंठन प्रथम की रिपोर्ट **'असर–2012'** के अनुसार "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के लागू होने के बाद विद्यालयों में पंजीकरण का प्रतिशत तो बढ़ा है परन्तु बच्चों में पढ़ने की प्रवृति में कमी आई है। भारत सरकार द्वारा अधिनियम में दी जा रहीं विभिन्न छूटों व प्रथम की रिपोर्ट **'असर–2013' व 'असर–2014'** के आधार पर यहाँ यह कहा जा सकता है कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।" का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। प्रतीत होने लगा है कि अतीत् के विभिन्न प्रयासों की भाँति यह अधिनियम भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पहले व बाद में सरकार की भूमिका संदेहपूर्ण ही रही है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के बीच बजट के बटवारे की जद्दोजहद, अधिनियम को लागू करने से पूर्व दूरदर्शिता का अभाव व लागू करने के बाद इसके क्रियान्वयन की निगरानी (Monitoring) का अभाव तथा स्थाई अध्यापकों की नियुक्ति न करना आदि, सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की भूमिका को संदेह में लाने वाले कुछ अन्य तथ्य

- देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लगभग 19.2 करोड़ बच्चों में से 6.9 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर हैं।[9]
- ''सभी राज्यों में विद्यालयों के वार्षिक रखरखाव के लिए धन (fund) पर्याप्त नहीं था। छात्राओं की सुरक्षा तथा सलामती के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए है।''[10]
- शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।[11]
- अधिनियम को हल्के में लिया जाता है या फिर प्राथमिक हितधारकों (stakeholders) के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर इसका उल्लंघन इस प्रकार से करते हैं कि इसके अधिनियमन (enactment) का उद्देश्य पूर्ण न हो सके। अधिनियम का क्रियान्वयन, न केवल कर्नाटक में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी संतोषजनक नहीं है। [12]
- **शिक्षा का अधिकारः क्रियान्वयन की व्यवहार्यता**[13]

---

[7] J.P. Unnikrishan V. State of Andhra Pradesh,(1993) 1 SSC 645 Dated 04/02/1993.
[8] Indian Express New Delhi Dated January 18, 2013.
[9] Social & Rural Research Institute-IMRB International (SRL-IMRB)
[10] National Evaluation of civil Works under SSA (2006-2007) by Ed. CIL. (India) Ltd.
[11] Status of Implementation of RTE Act- 2009 in context of Disadvantaged children at Elementary stage (2013)
[12] Right of Children to Free and Compulsorey Education Act-Miles to go …… (A Case Study of a Gram Panchayat), Centre for child and the Law, National Law School of India University.
9. Pankaj S Jain& Ravindra H Dolakia, Shiksha vimarsh Nov-Dec,2009

शिक्षा का सार्वजनीकरण केवल सरकार के बस की बात नहीं है इसके लिए सरकार को निजी विद्यालयों का सहयोग लेना पड़ेगा।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** के लागू होने के पाँच वर्षों के बाद भी अधिनियम के प्रावधानों में छूट देने की बात हो रही है न कि अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की।
- एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 27 लाख में से 85 हजार बच्चें ऐसे हैं जो विद्यालय जाने से वंचित हैं जबकि 20 हजार बच्चे कभी विद्यालय का मुँह नहीं देख पाए।[14]
- **फेल करने की नीति में बदलाव**[15]
  "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के तहत आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं करने के फैसले को बदलने की आवश्यकता है।
- "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के क्रियान्वयन के लिए सरकार की राजनैतिक मंशा नहीं है। सरकार नीति बनाकर अपना कार्य पूर्ण मानकर बैठ जाती है।[16]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005
2. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 1968 भारत सरकार
3. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 1986 भारत सरकार
4. रस्तोगी, आर. के., *शिक्षा एवं समाज,* नवीन संस्करण, संजीव प्रकाशन, मेरठ
5. *चौधरी, बी.पी., भारतीय शिक्षा का इतिहास*
6. *पाठक,पी.डी. शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त,* छब्बीसवां संस्करण (2009)

रिपोर्ट व लेख

1. अनिल सद्गोपाल, *शिक्षा को बाज़ार भरोसे मत छोडिए, स्कूल शिक्षा, द्विभाषी मासिक पत्रिका, वर्ष 5, अंक–2 जून 201*
2. गैर सरकारी सगंठन प्रथम की रिपोर्ट *'असर*–2013'
3. गैर सरकारी सगंठन प्रथम की रिपोर्ट *'असर*–2014'
4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रिपोर्ट *"राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन* 2006–2009, भारत सरकार"
5. पांडे, शीला (2013) *"शिक्षा के सरोकार "*, जनसत्ता नई दिल्ली 24 फरवरी 2013

सरकारी दस्तावेज

1 The right of children to Free and compulsory Education Act, 2009, "The fourth year" publication of ministry of human resources development, department of school education and literacy. June, 2014.

2 Status of Implementation of the Right of children to free and Compulsory Education Act, 2009: Year three (2012-13) A Draft Report by RTE Forum(April 2013)

3 The right of children to Free and compulsory EducationA ct, 2009, "The third year" publication of ministry of human resources development, department of school education and literacy. January 2014.

पत्रिकाए और सरकारी दस्तावेज

1. निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, भारत सरकार
2. शिक्षा विमर्श, शैक्षिक चिन्तन एवं संवाद की पत्रिका, नवम्बर–दिसम्बर, 2013
3. स्कूल शिक्षा, द्विभाषी मासिक पत्रिका, अंक–2 जून 2014

[14] Hindustan feb.,2015
[15] हिन्दुस्तान 13 फरवरी, 2015
[16] नेशनल कोइलिशन फार एजुकेशन की याचिका